न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : पालडी, कैम्प दिनांक 31.05.2018

राजस्व वाद संख्या :– 71/2015 दायर तारीख : 08.07.2015

1. रामनिवास
2. फुलाराम
3. कानाराम
4. रामकिशोर

} पुत्रान रामप्रताप, जाति अहीर निवासी घेवता तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

5. कालूराम
6. विक्रम
7. बलदेव

} पुत्र कोयली, पत्नि नारायण

8. सन्ती पत्नि मदनलाल
9. मिश्री पत्नि बनवारी

} पुत्री कोयली

} जाति अहीर निवासी खोरावाली की ढाणी तन पालडी, तहसील विराटनगर

—— वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूदयाल
2. लक्ष्मीनारायण
3. सत्यनारायण
4. बद्रीप्रसाद

} पुत्रान रामेश्वर

5. सुरजी पत्नि रामेश्वर

} जाति अहीर निवासी घेवता तहसील विराटनगर

6. रामगोपाल
7. पप्पू

} पुत्रान जगदीश

8. गैन्दी पत्नि जगदीश

9. बिमला
10. ग्यारसी
11. सरबती
12. मूली
13. भगवती
14. रज्जी

} पुत्रियान जगदीश

} जाति अहीर निवासी घेवता तहसील विराटनगर, जयपुर

15. सब रजिस्ट्रार विराटनगर, जिला जयपुर
16. पटवारी हलका पालडी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर।

—— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उपस्थित : डॉ॰ ललित कुमार शर्मा, एवं श्री जयराम गुर्जर अधिवक्ता वादी
श्री राकेशमोहन शर्मा, एवं श्री महेश कुमार जैन अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय दिनांक 31.05.2018

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जा रहा है।
2. वादी/अप्रार्थी के वाद कथन रहे कि ग्राम घेवता के साबिक खसरा नम्बर 220 रकबा 2 बीघा 13 बिसवा, 222 रकबा 15 बीघा 1 बिसवा, 223/1 रकबा 9 बीघा 2 बिसवा कुल किता 3 रकबा 26 बीघा 16 बिसवा की पुरानी खातेदारी वादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता रामप्रताप पुत्र बिडदू के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बर 430/1.95, 414/0.03, 415/0.45, 416/0.02, 417/0.96, 418/1.02, 419/0.51, 420/0.47, 429/1.44, 430/528/0.01 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 6.86 हैक्टेयर कायम किये गये, जिस पर पहले वादीगण के पूर्वज रामप्रताप का कब्जा काश्त रहा है तथा रामप्रताप के जीवनकाल से ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त व उसका बिना किसी बाधा के उपयोग करते आ रहे हैं। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण व इनके पूर्वजों या अन्य किसी का कभी कोई संबंध अधिकार नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है। हाल सैटिलमेंट कार्यवाही में आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बरान मे से खसरा नम्बर 414/0.03, 415/0.45, 419/0.51, 420/0.47, 430/1.95, 430/528/0.01 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 3.42 हैक्टेयर की खातेदारी रामप्रताप के नाम दर्ज की गई, जो साबिक रकबे के मुताबिक कम है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का पिता व प्रतिवादी संख्या 5 का पति रामेश्वर एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 14 का पिता व पति जगदीश के पिता हुक्मा ने हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों से साज कर वादीगण के पूर्वज रामप्रताप की बिना जानकारी रामप्रताप व वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी भूमि मे से हाल खसरा नम्बर 429/1.44, 417/0.96 हैक्टेयर किता 2 रकबा 2.40 हैक्टेयर का रामेश्वर ने अपने नाम व हाल खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर का

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

मृतक रामेश्वर, हुक्मा व रामप्रताप के नाम व हाल खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर का हुक्मा ने अपने नाम पर्चा खातेदारी बनवा लिया, जो गलत है। हाल खसरा नम्बर 417, 420 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 या इनके पिता रामेश्वर व हाल खसरा नम्बर 416, 418 से प्रतिवादी के पिता व पति रामेश्वर व हुक्मा या स्वयं प्रतिवादी का कभी कोई संबंध अधिकार कब्जा नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है। वादीगण के पिता रामप्रताप को हाल खसरा नम्बर 417, 429 की खातेदारी रामेश्वर के नाम, खसरा नम्बर 418 की खातेदारी हुक्मा के नाम व खसरा नम्बर 416 की खातेदारी रामेश्वर, हुक्मा व रामप्रताप के नाम होने की जानकारी होने पर रामप्रताप ने श्रीमान एस॰ओ॰ के अपील की, जिस पर खसरा नम्बर 417 व 429 पर रामेश्वर का नाम खारिज कर रामप्रताप व खसरा नम्बर 418, 416 पर रामप्रताप के नाम खातेदारी करने के आदेश हुए, जिसका नोट खतौनी भू-प्रबन्ध में किया गया, लेकिन पुनः उक्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता रामेश्वर व जगदीश पुत्र हुक्मा ने अपने नाम दर्ज करवा ली। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध नाजायज संगठन बना रखा है, तथा बिना अधिकार के वादीगण व उनके पिता की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी के पूर्वज व उसके पश्चात प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की नियत से वादीगण को जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते हैं तथा अपने नाम खातेदारी होने का फायदा उठाने की नियत से अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण करना व उसका स्थानान्तरण डीड कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दुरूस्त कराने हेतु कहा, परन्तु प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये है। अतः निवेदन है कि वादीगण को ग्राम घेवता के हाल खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44, 418/1.02, 416/0.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान खातेदारी हजफ फरमायी जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44, 418/1.02, 416/0.02, 414/0.03, 415/0.45, 419/0.51, 420/0.47, 430/1.95, 430/528/0.01 हैक्टेयर पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें, वादीगण को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त व उपयोग करने देवें, जबरन रास्ता नहीं बनाये, आराजी के किसी भी भाग को अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करें।

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

3. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति पासबुक, फोटोप्रति सत्यप्रतिलिपि खतौनी संवत् 2033–2035, फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी जमाबन्दी खाता संख्या 30, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 120, 62, 42, 60 संवत् 2067–2070, फोटोप्रति खतौनी जमाबन्दी, नकल जमाबन्दी संवत् 2043–2046 आदि पेश किये।

4. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए।

5. प्रतिवादी/प्रार्थीगण प्रस्तुत वाद के में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 429/1.44, 417/0.96 हैक्टेयर का रामेश्वर के नाम व खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर का मृतक रामेश्वर व हुक्मा, रामप्रताप के नाम व खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर का हुक्मा के नाम पर्चा बनवा लेने के आधार पर उक्त आराजी के संबंध में घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नितान्त गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। हस्तगत उनवानी वादपत्र में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर गैरमुमकीन चाह के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के बजुर्गान रामेश्वर पुत्र बिरदू व जगदीश पुत्र हुक्मा द्वारा वादीगण के पिता रामप्रताप के विरूद्ध एक वादपत्र बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 15/85 न्यायायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.86 को प्रार्थी/प्रतिवादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर मे 3/8 हिस्से का रामेश्वर पुत्र बिरदू व हिस्सा 1/8 का जगदीश पुत्र हुक्मा व हिस्सा 1/2 का रामप्रताप को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 14 के पिता जगदीश पुत्र हुक्मा द्वारा न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के समक्ष उनवानी जगदीश बनाम रामप्रताप मुकदमा नम्बर 17/86 बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 02.06.86 को डिक्री किया जाकर जगदीश पुत्र हुक्मा को हाल आराजी खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा रामप्रताप के नाम से दर्ज खातेदारी निरस्त की गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 14 अपने पिता के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार खसरा

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर

Scanned by CamScanner

नम्बर 417/0.96, 429/1.44 के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता/पति रामेश्वर द्वारा एक वाद न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के समक्ष उनवानी रामेश्वर बनाम रामप्रताप मुकदमा नम्बर 16/86 बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.1986 को डिक्री किया जाकर रामेश्वर को खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा रामप्रताप के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की गई तथा तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने पिता/पति के जीवनकाल से आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी मुतनाजा के संबंध में न्यायालय श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। मान्य न्यायालय द्वारा पारित तीनों निर्णयों दिनांक 02.06.1986 की अप्रार्थी/वादीगण व उनके पिता रामप्रताप को बखूबी जानकारी रही है, जिसमें वादीगण के पिता रामप्रताप ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी, तथा जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थी के बुजुर्गान के दावे डिक्री किये गये थे, जिसकी किसी भी पक्षकार ने अपील नहीं की है तथा उक्त निर्णयों से दोनो पक्षकार व उनके वारिसान आज भी पाबन्द है। अब वादीगण एस्टोपल के सिद्धान्त से भी पाबन्द है। प्रस्तुत वादपत्र में वादीगण ने खसरा नम्बर 414, 415, 419, 420, 430, 430/528 के संबंध में भी रिलीफ चाही है, जबकि उक्त खसरा नम्बर वादीगण स्वयं की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर 419 मे से रास्ता चाहने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (1) प्रस्तुत किया है, जिससे बचने के लिए वादीगण ने उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो सरसरी रूप से ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादीगण का प्रस्तुत वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

6. वादीगण/अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद सही तथ्यों पर प्रस्तुत किया है, खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर गैरमुमकीन चाह से प्रतिवादीगण के बुजुर्ग रामेश्वर, जगदीश का कभी कोई संबंध नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है। प्रतिवादीगण ने वर्णित एवं उसने निर्णय दिनांक 02.06.86 की प्रति कभी भी वादीगण को उपलब्ध नहीं करायी, न ही वादीगण व उनके पिता को वर्णित वाद व उनके निर्णयों की कभी जानकारी रही है। प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा यदि कोई गलत रूप से व बिना अधिकार के वाद प्रस्तुत कर निर्णित करवाया है, तो उससे वादीगण पाबन्द नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के वादीगण की खातेदारी भूमि व कब्जे काश्त

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

की भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने व राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अपने नाम होने फायदा उठाने की नियत से अन्य को रहन बय हस्तान्तरण करने की धमकी देने पर वादीगण ने अपने अधिकारों के तहत प्रस्तुत वाद दायर किया है। प्रतिवादीगण द्वारा बेवजह वादीगण की खातेदारी भूमि नष्ट करने की मंशा से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र 251 (1) प्रस्तुत किया है, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अनावश्यक विलम्ब कारित करने व वादीगण के हैरान व परेशान करने एवं अनुचित दबाव बनाने की नियत से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी अधिकार पेश किया है, जो संबंधित कानून की पूर्ति के अभाव में काबिल खारिज है।

7. प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय मुकदमा नम्बर 17/86 निर्णय दिनांक 02.06.86, नकल निर्णय मुकदमा नम्बर 16/86 निर्णय दिनांक 02.06.86, फोटोप्रति वाद उनवानी रामनिवास वगैरह बनाम प्रभूदयाल वगैरह आदि पेश किये।
8. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पालडी में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।
9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। वादी/अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क रहा कि आदेश 7 नियम 11 का स्कोप सीमित है एवं प्रतिवादीगण को प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा हाल खसरा नम्बर 429/1.44, 417/0.96 हैक्टेयर का रामेश्वर के नाम व खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर का मृतक रामेश्वर व हुक्मा, रामप्रताप के नाम व खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर का हुक्मा के नाम पर्चा बनवा लेने के आधार पर उक्त आराजी के संबंध में घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। हस्तगत उनवानी वादपत्र में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर गैरमुमकीन चाह के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के बजुर्गान रामेश्वर पुत्र बिरदू व जगदीश पुत्र हुक्मा द्वारा वादीगण के पिता रामप्रताप के विरूद्ध एक वादपत्र बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 15/85 न्यायायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.86 को प्रार्थी/प्रतिवादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 416/0.02 हैक्टेयर मे 3/8 हिस्से का रामेश्वर पुत्र बिरदू व हिस्सा 1/8 का जगदीश पुत्र हुक्मा

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

व हिस्सा 1/2 का रामप्रताप को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 14 के पिता जगदीश पुत्र हुक्मा द्वारा न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के समक्ष उनवानी जगदीश बनाम रामप्रताप मुकदमा नम्बर 17/86 बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 02.06.86 को डिक्री किया जाकर जगदीश पुत्र हुक्मा को हाल आराजी खसरा नम्बर 418/1.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा रामप्रताप के नाम से दर्ज खातेदारी निरस्त की गई। यह भी कि खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44 के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता/पति रामेश्वर द्वारा एक वाद न्यायालय ए.सी.एम. शाहपुरा के समक्ष उनवानी रामेश्वर बनाम रामप्रताप मुकदमा नम्बर 16/86 बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.1986 को डिक्री किया जाकर रामेश्वर को खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा रामप्रताप के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की गई। वर्तमान में खसरा नम्बर 408, 412, 413, 417, 429 की खातेदारी प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम, खसरा नम्बर 418 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 14 के पिता जगदीश के नाम तथा खसरा नम्बर 416 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मान्य न्यायालय द्वारा पारित तीनों निर्णयों की अप्रार्थी/वादीगण व उनके पिता रामप्रताप को बखूबी जानकारी रही है, जिसमें वादीगण के पिता रामप्रताप ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी, तथा जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थी के बुजुर्गान के दावे डिक्री किये गये थे, जिसकी किसी भी पक्षकार ने अपील नहीं की है तथा उक्त निर्णयों से दोनो पक्षकार व उनके वारिसान आज भी पाबन्द है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण एस्टोपल के सिद्धान्त से भी पाबन्द है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बालडी दिनांक 31.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट पालडी

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. रामनिवास
2. फुलाराम
3. कानाराम
4. रामकिशोर

पुत्रान रामप्रताप, जाति अहीर निवासी घेवता तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

5. कालूराम
6. विक्रम
7. बलदेव

पुत्र कोयली, पत्नि नारायण

8. सन्ती पत्नि मदनलाल
9. मिश्री पत्नि बनवारी

पुत्री कोयली

जाति अहीर निवासी खोरावाली की ढाणी तन पालडी, तहसील विराटनगर

— वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूदयाल
2. लक्ष्मीनारायण
3. सत्यनारायण
4. बद्रीप्रसाद

पुत्रान रामेश्वर

5. सुरजी पत्नि रामेश्वर

जाति अहीर निवासी घेवता तहसील विराटनगर

6. रामगोपाल
7. पप्पू

पुत्रान जगदीश

8. गैन्दी पत्नि जगदीश
9. बिमला
10. ग्यारसी
11. सरबती
12. मूली
13. भगवती
14. रज्जी

पुत्रियान जगदीश

जाति अहीर निवासी घेवता तहसील विराटनगर, जयपुर

15. सब रजिस्ट्रार विराटनगर, जिला जयपुर
16. पटवारी हलका पालडी तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर।

— प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 71/2015 दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतौई रूबरू श्री ललित शर्मा, एवं श्री जयराम गुर्जर एडवोकेट व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री राकेशमोहन शर्मा एडवोकेट कार्यवाही मिन जानिब मुद्दामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम घेवता के हाल खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44, 418/1.02, 416/0.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वर्तमान खातेदारी हजफ फरमायी जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 417/0.96, 429/1.44, 418/1.02, 416/0.02, 414/0.03, 415/0.45, 419/0.51, 420/0.47, 430/1.95, 430/528/0.01 हैक्टेयर पर वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें, वादीगण को शान्तिपूर्वक काविज रहकर काश्त व उपयोग करने देवें, जबरन रास्ता नहीं बनाये, आराजी के किसी भी भाग को अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करें।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पालडी में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश है, जिसे स्वीकार किया जाता है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट पालडी दिनांक 31.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

Scanned by CamScanner

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सादी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.05.2018 को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
उपखण्ड– विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner